beef up security around the oil refineries in the State;

(b) if so, whether ULFA militants want to destroy the oil refineries there;

(c) whether the Union Government have provided any help to the State Government to face the threat; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) Yes Sir.

(b) There is a report to that effect.

(c) and (d) The Government is aware of the situation in the State and the same is under constant watch and close review. The State Government and the Ministry of Petroleum, have been duly sensitized. Regular review of security of these installations is being taken and necessary measures have been taken.

Demand for Telephone in Hill Districts of Uttar Pradesh

*213. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to the Starred Question 352 given in the Rajya Sabha on the 20th December, 1995, and State:

(a) whether the study has also covered the Lansdown-Rikhnikhal-Beeronkhal Motor Road area;

(b) if so, whether there is heavy demand for telephone from the public in this area; and

(c) what steps are being taken to provide telephone lines in this area at the earliest?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no heavy demand in these areas. However, plans have been made to provide telephone lines by expanding the exchange at Landsdown and opening a new exchange 128 P C-DOT at Rikhnikhal during 1997-98.

काली सूची में शामिल दूर-संचार फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई

*214. श्री नागमणि: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने काली सूची में शामिल दूरसंचार फर्मों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है; और

(ग) इन फर्मों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) कुछ फर्मों के व्यापारिक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की गयी है।

(ख) विवरण में दी गयी सूचना के अनुसार **(नीचे देखिए)**।

(ग) विभाग द्वारा एक जांच अधिकारी नामित किया गया है। इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा उनके द्वारा दिए उत्तर विचाराधीन हैं।

विवरण

फर्मों की सूची जिनके विरूद्ध व्यापार गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1. मै० स्टरलाइट इंडस्ट्रिज (इंडिया) लिमिटेड,
   903-905, टॉल्सटाय हाउस,
   टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001.
2. मै० बिरला इरिक्सन आप्टिकल लि०,
   डाकघर-चोरहाट, उद्योग विहार,
   रीवां-486006, (मध्य प्रदेश)
3. मै० हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि०,
   8-कॉमर्सियल कंप्लेक्स, मस्जीद मोथ,
   ग्रेटर कैलास-11, नई दिल्ली 110048.
4. मै० भिलाई वायर्स लि०,
   (आप्टिकल फाइबर केबल डिविजन),
   के-33, बालाजी स्टेट के सामने
   कालकाजी, नई दिल्ली।
5. मै० आकाश इंडिया लि०,
   9-डी, आत्माराम हाऊस,
   टाल्सटाय मार्ग,
   नई दिल्ली 110001.